

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला  
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 267 / 2018  
आर.सी.टी. कं. 253 / 18  
संस्थापन दिनांक—22.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,  
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

महेश पिता तेजसिंह गोस्वामी उम्र 42 साल,  
निवासी दवाना थाना ठीकरी  
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //  
(आज दिनांक 22.05.2018 को घोषित )

01— अभियुक्त पर दिनांक 24.03.2018 को दिन के 19:30 बजे स्थान सोसायटी के पास दवाना में तितली भौरा का खेल रुपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पाने का धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.03. 2018 को कस्बा भ्रमण करते मुखबीर की सूचना पर कि, ग्राम दवाना में सोसायटी के पास में कुछ व्यक्ति अवैध लाभ कमाने के लिये तितली भौरा का खेल रुपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर खेल कर रहे हैं, सूचना पर विश्वास कर पंचान रुपेश पिता दयाराम एवं जाकिर पिता नासिर को सूचना से अवगत कराकर बताये स्थान पर पहुंचे पास में जाकर आड में से देखा तो दो-तीन व्यक्ति सोसायटी के पास गोलघेरा

निरंतर.....

बनाकर ताश पत्तों को खेल रूपये पैसों से खेलकर हारजीत कर रहे थे, जिनको छेराबंदी कर पकड़ते एक व्यक्ति पकड़ा गया, जबकि दो-तीन व्यक्ति मौके पर से भाग गये। पुलिस के द्वारा नाम पूछने पर अपना नाम महेन्द्र पिता तेजसिंह निवासी दवाना का बताया। विधिवत मौके पर आरोपी महेन्द्र से रूपये 350/- व तितली पत्ता जप्त किये गये। थाना वापसी पर अप0 क्र0 113/18 पर प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड के परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है, किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को जुआ खेलना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छा पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 13 द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है ।

05— अभियुक्तगण **महेन्द्र पिता तेजसिंह गोस्वामी** को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में 100/- रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में आरोपी से जप्त धनराशि 350/- रूपये के संबंध में अन्य अभियुक्त या अन्य किसी ने इसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यह आदेशित किया जाता है कि यह धनराशि अपील अवधि पश्चात राजसात हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में जप्तशुदा तितली का पत्ता मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के

आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / –

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड जिला बडवानी म0प्र0

मेरे निर्देशन व बोलने पर  
टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड जिला बडवानी म0प्र0